तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री श्रीनिवास बेनिवाल, अभिभाषक प्रार्थी
श्री श्यामबाबू पारिक, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 02–07–2025

निर्णय

यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 143 / 2006 में पारित आदेश दिनांक 11–09–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने विरूद्ध प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण के एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर स्वयं का स्व. वनखण्डी का वारिस अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर बताया। निगरानीकर्ता ने वाद का विरोध किया तथा स्पष्ट कथन किया कि वनखण्डी ने कभी कोई वसीयत नहीं की। वनखण्डी प्रति. निगरानीकर्ता के खास भाई थे जो अपने भानजे अर्थात निगरानीकर्ता के पुत्र कालीचरण के साथ रहते थे। नत्थीलाल काफी अस्वस्थ रहे थे उनका ईलाज सैंया तथा शमशाबाद में चला था। प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य खत्म होने पर तथा प्रतिवादी की साक्ष्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ स्व. वनखण्डी के चिकित्सा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसके विरूद्ध यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण के न्यायपूर्ण एवं वास्तविक निर्णय हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिन्हें अभिलेख पर लिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजात को औचित्यहीन मानने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2006 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश पारित किए जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2006 उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि " हमने विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। किसी भी पक्षकार को दस्तावेज Pleedings अथवा W-S के साथ ही पेश करने होते हैं। किसी भी कारणवश उस समय उपलब्ध नहीं होने के कारण यदि दस्तावेज उस समय पेश नहीं किए जाते हैं तो तनकी से पूर्व अवश्यक पेश कर देने चाहिए। ये दस्तावेज पेश किए गए है, वह वादी की साक्ष्य के उपरान्त पेश किये गये हैं। दस्तावेजों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि ये दस्तावेज चिकित्सक की पर्ची एवं इलाज से जुडे अन्य दस्तावेज वर्ष 2000 से ही प्रार्थी के पास उपलब्ध थे। सभी दस्तावेज अप्रमाणित है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने इनको वादपत्र के साथ पूर्व में संलग्न नहीं किया ना ही दस्तावेज सूची से इनको वाद में प्रस्तुत करने बाबत उल्लेख किया। अतः इस स्तर पर इन दस्तावेजों का वादपत्र में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी ने वादपत्र को देरीना करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 21–09–2006 को पेश हो।" का आदेश पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाते है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2006 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	